

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 507/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय- विद्याघर नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स इलेक्ट्रो सिटी प्रोपराईटर श्री बसन्त स्वामी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद स्वामी,  
पता:- बी-1, सिटी स्टार (सिनेस्टार सिनेमा) सेन्द्रल स्पाईन, विद्याघर नगर, जयपुर।
2. श्री बसन्त स्वामी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद स्वामी,
3. श्रीमती कलावती देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद स्वामी,  
पता:- प्लॉट नं. 14, जगदीश पुरी, जय दादी नगर के पीछे, रावण गेट के सामने, कालवाड़ रोड़,  
झोटवाड़ा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री हरजीत शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती कलावती के स्वामित्व की संपत्ति 1. दुकान संख्या जी-11, भूतल, सिटी प्लॉजा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट संख्या 1, बनीपार्क, निर्वाण मार्ग, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 96 वर्गफीट एवं 2. प्लॉट संख्या 14, जगदीश पुरी, ग्राम गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 25.03.2019 को राशि 25,00,000/- रूपये, दिनांक 24.12.2020 को राशि 02,00,000/- रूपये, राशि 500/- रूपये, दिनांक 26.08.2021 को राशि 02,90,000/- रूपये, दिनांक 29.11.2021 को राशि 02,30,000/- रूपये, कुल राशि 32,20,500/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

490  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पञ्जावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **₹2,20,600/-** रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगृहीत जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण ख़ाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि **₹3,54,603.76/-** रूपये की ऋण सुविधा जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **02.12.2022** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा निरस्तारण कर दिया गया है, तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा हिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्पन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती कलावती के स्वामित्व की बंधक संपत्ति 1. दुकान संख्या जी-11, भूतल, सिटी वॉर्जा कॉम्पलेक्स, ब्लॉक संपत्ति 1, बनीपार्क, निर्वाण मार्ग, झोटवाड़ा, जयपुर, क्षेत्रफल 96 वर्गफीट एवं 2. ब्लॉक संख्या 14, जगदीश पुरी, ग्राम गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का आदेश देकर माबन्दा करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पञ्जावली नम्बर से कम होकर दायित्व घोषित हो।

आदेश/ आज दिनांक **17.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलावती) जयपुर